



कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर-342 003
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR-342003
Tel.No. 0291-2795147-154
e-mail : commcexjodh@rediffmail.com

फा.सं. 11(03)01/स्था./जेडीआर/2020/4391

दिनांक 10.09.2020

स्थापना आदेश संख्या : 11/2020

दिनांक : 10.09.2020

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 77/2020 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा इस आयुक्तालय को आवंटित एवं इस आयुक्तालय में पदास्थापित निम्नलिखित अधीक्षकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से अगले आदेशो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए स्थान पर किया जाता है।


S. NO.	NAME OF OFFICER S/SH/SMT.	FROM	TO
1	JITENDRA P. NAWAL	UOP (CGST RANGE-X, BALOTRA WITH ADDL CHARGE CGST RANGE-IX, BARMER)	LAW BRANCH, HQRS. JODHPUR
2	HARI RAM CHEJARA	LAW BRANCH, HQRS	ADJUDICATION/LAW/AUDIT/RECOVERY & ALL OTHER WORK DIVISION-B, JODHPUR
3	UMA SHANKAR GARG	UOP(ADJUDICATION/LAW/AUDIT /RECOVERY & ALL OTHER WORK)	RETAINED AT CGST RANGE-IX, BARMER WITH ADDL CHARGE CGST RANGE-X, BALOTRA (DIVISION-B, JODHPUR)
4	ARUN KR. DEONAIK MISHRA	UOP	CGST RANGE -XII, MERTA (DIVISION-C, JODHPUR)
5	RAJESH KUMAR MAHAWAR	UOP	CGST RANGE -XVII, PALI WITH ADDL CHARGE CGST RANGE -XIX, PALI (DIVISION-D, PALI)
6	SUDHEER KUMAR KHATRI	UOP	CGST RANGE -XXI, SIROHI (DIVISION-E, PALI)
7	PARAS RAM	UOP (CGST RANGE-XXXVI, HANUMANGARH WITH ADDL. CHARGE CGST RANGE-XXXVII, HANUMANGARH)	CGST RANGE -XX, ABUROAD (DIVISION-E, PALI)
8	DHEERAJ SHUKLA	UOP (AE/REFUND/REBATE/ STATS / TECH, SRIGANGANAGAR WITH ADDL. CHARGE CGST RANGE-XXXVIII, RAWATSAR)	AE/REFUND/REBATE/STATS/TECH, DIVISION-I, SRIGANGANAGAR
9	ASHISH KAUSHIK	UOP (CGST RANGE- XXXVIII, RAWATSAR)	CGST RANGE-XXXVI, HANUMANGARH WITH ADDL. CHARGE CGST RANGE-XXXVII, HANUMANGARH (DIVISION-I, SRIGANGANAGAR)

10	VIKASH SHARMA	UOP	CGST RANGE-XXXVIII, RAWATSAR (DIVISION-I, SRIGANGANAGAR)
----	---------------	-----	---

नोट:-

1. सभी नव पदोन्नत अधीक्षक, जिन्हे इस आयुक्तालय में आवंटित/पदस्थापित किया गया है उन्हें निर्देश दिये जा सकते हैं कि वे पदस्थापित स्थान पर तुरंत कार्यग्रहण करे एवं पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की तिथी ही अधीक्षक पद पर कार्यग्रहण तिथी मानी जायेगी।
2. उपरोक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उचित तरीके से पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार मुक्त होने वाले अधिकारी कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी को उचित तरीके से चार्ज एवं विभागीय पासवर्ड कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सुपुर्द करें।
3. इस आदेश के जारी होने की तिथि तक प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निस्तारण कर दिया गया है।
4. इस आदेश के क. सं. 01, 07, 09, एवं 10 पर दर्शाये गये अधिकारियों को टीटीए/ज्वाइनिंग टाईम देय नहीं होगा क्योंकि उनका स्थानान्तरण उनकी स्वयं के अनुरोध पर किया गया है।

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।


 (रामकेश मिश्रा) 20
 अपर आयुक्त (का. एवं सत.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/ उदयपुर / जोधपुर/ अंकेक्षण/ अपील, जयपुर/जोधपुर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अपर महानिदेशक, NACIN, जयपुर।
5. सभी उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग/सीमा शुल्क (जयपुर जोन)
6. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क, जयपुर।
7. सभी मुख्य लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर/अपील/ अंकेक्षण (जयपुर जोन)/सीमा शुल्क, जयपुर/जोधपुर।
8. महासचिव, संबंधित ग्रुप राजपत्रित कार्यकारी अधिकारी संघ, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त/अपर आयुक्त (का. एवं सत.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
10. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड
11. अधीक्षक (कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।